इनरे ड फाइनेन्क्सयल सर्विसेज शलशिटेड ('इनरे ड') (पूविवर्ती

के के आर इंडडया फाइनेंशियल सर्विसेज शलशिटेड)

<u>उचिच व्यवहार संहिता</u>

अनुमोदन/संशोधन की तिथि: 27 अक्टूबर, 2023

अनुमोदनकिता: तनदेशक मंडल

पॉललसी कत स्वतमी: अनुपतलन ववभतग संस्करण

तनयंत्रण: 3

नीति समीक्षत चक्र: वतवषाक

अंतिम समीक्षत की तिथि: 27 अक्टूबर, 2023

उचचर्त व्यविार सांहिर्ता

इन्क्रे ड फतयनतंलशयल सववासेज़ लललमटेड (‘आईएफएसएल’ यत ‘कं पनी’) भतरीय ररज़वा बैंक (आरबीआई) के सति पंजीकृ ि एक ग़ैर-बैंकक ं ग ववत्तीय कं पनी (एनबीएफसी) है। कं पनी ने उथचि व्यवहतर संहहित (“संहहित”) की रूपरेखत को िैयतर ककयत है और उसे अपनतयत है, जो स्विंत्र ग्रतहकों और कतनूनी संस्ितओं के सति व्यतपतर करिे समय उथचि व्यवहतर अभ्यतस मतनकों को तनधतारिि करिी है। संहहित को आरबीआई मतस्टर डतयरेक्शन - भारतीय ररजर्व बैंक (ग़ैर बैंकक ं ग ववत्तीय कं पनी - स्के ल आधाररत विर्नियमि) विर्देश, 2023, RBI/ DoR/ 2023-24/ 105n DoR. FIN. REC. No.45 /03. 10. 119/ 2023 हदनतंककि अक्िूबर 19, 2023 के अध्यतय VII के आधतर पर िैयतर ककयत गयत है।

कं पनी समय समय पर आरबीआई द्वतरत तनधतारिि सवाश्रेष्ठ प्रितओं को अपनतएगी और यहद आवश्यक हो िो तनधतारिि ककए गए मतनकों कत पतलन करने के ललए इस संहहित में उथचि बदलतव करेगी। कं पनी की नीति है सभी ग्रतहकों से लगतितर एवं उथचि रुप से तनष्पक्ष व्यवहतर करनत। कं पनी के कमाचतरी एक उथचि तनष्पक्ष, समितपूणा न्क्यतयसंगि एवं तनरंिर सुसंगि रुप से सहयोग, प्रोत्सतहन एवं सेवत प्रदतन करेंगे। कं पनी यह सुतनश्श्चि करेगी कक संहहित के कक्रयतन्कयन की पूणा श्जम्मेदतरी संपूणा संस्ित की है। कं पनी की उथचि ऋण व्यवहतर प्रितएं उसके पररचतलन के सभी पहलूओं पर लतगू होंगी श्जसमें मतके हटंग, ऋण प्रतरंभ उत्पवत्त, प्रसंस्करण और सववालसंग और संग्रह गतिववथधयताँ शतलमल है।

1. उचचर्त व्यविार सांहिर्ता के उद्देश्य

इस संहहित को अपनतयत गयत है:

a) ग्रतहकों के सति व्यवहतर व्यतपतर करिे समय न्क्यूनिम मतनकों को िय कर अच्छे एवं उथचि व्यवहतर तनष्पक्ष प्रितओ को बढतवत देने के ललए;
b) पतरदशाकित पतरदलशाित बढतने के ललए ितकक ग्रतहकों को एक बेहिर समझ प्रतप्ि हो कक वे सेवतओं से ककन चीज़ों की यिोथचि अपेक्षत कर सकिे हैं;
c) प्रतियोथगित के मतध्यम से बतज़तर शश्क्ियों को प्रोत्सतहहि करने के ललए, उच्चिर पररचतलन मतनकों को हतलसल करने के ललए;
d) ग्रतहकों और कं पनी के बीच एक उथचि एवं सौहतदापूणा संबंध को बढतवत देने के ललए;

2. उपयुक्तर्ता प्रयोज्यर्ता

संहहित कं पनी के सभी कमाचतररयों, उसके एजेंटों/प्रतितनथधयों/िृिीय पक्ष वेन्क्डरों/सेवत प्रदतितओं और अन्क्य लोगों पर लतगू होगी, श्जन्क्हें इसके व्यतपतर के संदभा में प्रतितनथधत्व करने के ललए प्रतथधकृ ि ककयत गयत है।

3. गैर भेदभाव नीतर्त

कं पनी अपने ग्रतहकों के बीच ललंग, शतरीररक योग्यित, नस्ल यत धमा के आधतर पर भेदभतव नहीं करेगी। इसके सति ही कं पनी नेत्रहीन यत शतरीररक रुप से ववकलतंग आवेदकों के सति ववकलतंगित के आधतर पर उत्पतदों. सेवतओं, सुववधतओं इत्यतहद को प्रस्िुि करने के संबंध में भी कोई भेदभतव नहीं करेगी। हतंलतकक, यह कं पनी को समतज के ववलभन्क्न वगों के ललए योजनतओं को शुरु करने यत इसमें उनमे हहस्सत लेने से रोकिी नहीं है।

4. सांचार की भाषा

कं पनी द्वतरत उधतरकिता के सति सभी आवश्यक संचतर उस भतषत में ककयत जतएगत श्जसे उधतरकिता समझित हो (अंग्रेज़ी यत क्षेत्रीय भतषत)।

5. ऋण के शलए आवेदन एवां इसका प्रसांस्करण

a) ऋण आवेदन फॉमा प्रपत्रों में उथचि जतनकतरी शतलमल होनी चतहहए जो उधतरकिता के हहिों को प्रभतवि करिी है, ितकक उधतरकिता द्वतरत जतनकतरी आधतरर तनणाय ललयत जत सके । इसके सति ही ऋण आवेदन फॉमा पत्र में आवेदन फॉमा पत्र के सति प्रस्िुि ककए जतने वतले आवश्यक दस्ितवेज़ों की सूची भी दशताई जतनी चतहहए।

b) पूणा रुप से भरे गए आवेदन फॉमा पत्रों के प्रतपि होने पर कं पनी द्वतरत ववथधवि रुप से अलभस्वीकृ ति दी जतएगी और इसके सति ही एक अनुमततनि समयतवथध भी दशताई जतएगी श्जसके भीिर ग्रतहक उसके ऋण आवेदन के संदभा में कं पनी की ओर से जवतब की अपेक्षत कर सकिे हैं।

6. ऋण िूलयाांकन एवां, तनयि और शिें

a) सभी ऋण आवेदनों कत मूलयतंकन कं पनी की आंिररक ऋण नीतियों और मूलयतंकन प्रकक्रयतओं के अनुसतर ककयत जतएगत;

b) ऋण स्वीकृ ि ककए जतने पर उधतरकिता को एक स्वीकृ ति पत्र हदयत जतएगत श्जसमें स्वीकृ ि ऋण रतलश, लतगू होने वतली वतवषाक ब्यतज दर, इसके अनुप्रयोग की पद्धति और सति ही अन्य महत्वपूणा तनयम एवं शिें ललखखि में सूथचि ककए जतएंगे;

c) ऋण समझौिे के भुगितन में देरी के ललए लगतए जतने वतले दंडस्वरुप शुलक कत कं पनी बोलड बड़े अक्षरों में प्रमुखिित से उललेख करेगी। इस संबंध में एक योग्य प्रतवधतन ऋण समझौिे में समतववष्ट ककयत गयत है;

d) ऋण समझौिे को तनष्पतहदि करने के बतद, सभी उधतरकिताओं को ऋण समझौिे की एक कॉपी प्रति और इसके सति ऋण समझौिे में उद्धृि ककए गए सभी अनुलग्नकों की एक कॉपी प्रस्िुि की जतएगी।

7. तनयि और शिों िें बदलाव सहहि ऋण का सांविरण

a) ब्यतज दर, सेवत प्रभतर, पूवा चुकौिी प्रभतर, चुकौिी/संवविरण अनुसूची इत्यतहद सहहि तनयम एवं शिों में ककसी भी बदलतव के बतरे में उधतरकिता (जो उधतरकिता को प्रभतववि कर रहत है) को ललखखि में सूचनत दी जतएगी;

b) ब्यतज दरों और अन्य प्रभतरों में बदलतव (जो उधतरकिता के ललए प्रतिकू ल है) के वल भतवी प्रभतव से ही लतगू होंगे;

c) ककसी भी ऋण को वतपस मतंगनत / भुगितन में िेजी लतने कत तनणाय ऋण समझौिे में हदए गए तनयम और शिों के अनुसतर ही ककयत जतएगत;

d) उधतरकिता के अनुरोध के अनुसतर, ऋण कत संपूणा रुप से भुगितन ककए जतने के बतद ऋण समझौिे के तनयम और शिों के अनुसतर अन्य सभी प्रभतरों के सति सभी अंितनाहहि प्रतिभूतियों को तनमािुक्ि ककयत जतएगत और यह ककसी भी धतरणतथधकतर/सेट ऑफ के अथधकतर के प्रयोग के अधीन होगत, श्जसके ललए उधतरकिता को पूणा वववरण के सति एक नोहटस दी जतएगी।

8. तनजिा एवां गोपनीयिा

1. ऋण संदभा एजेश्न्सयतं / ऋण सूचनत कं पतनयतँ (सीआईसी)!

a) कं पनी तनयतमक तनदेशों/हदशततनदेशों यत कं पनी की आंिररक नीतियों के अनुसतर अपने उधतरकिताओं के ऋण और पुनभुागितन ट्रैक ररकॉडा कत वववरण क्रे डडट सूचनत कं पतनयों को सतझत कर सकिी है।

b) कं पनी ग्रतहक द्वतरत देय व्यश्क्िगि ऋणों के बतरे में क्रे डडट सूचनत कं पतनयों के सति जतनकतरी सतझत कर सकिी है यहद:

i. यहद ग्रतहक ने समय पर भुगितन नहीं ककयत ह्रै

ii. बकतयत रतलश के संबंध में कोई ववववतद नहीं ह्रै

iii. देय रतलश के पुनभा ुगितन की हमतरी औपचतररक मतंग के बतद ग्रतहक ने भुगितन नहीं ककयत ह्रै।

c) सति ही, कं पनी के प्रतितनथध ग्रतहकों को सीआईसी की भूलमकत और उनके द्वतरत प्रदतन की जतने वतली जतनकतरी कत ग्रतहक के क्रे डडट स्कोर और क्रे डडट प्रतप्ि करने की क्षमित पर पड़ने वतले प्रभतव के बतरे में बितएंगे।

d) कं पनी ग्रतहक के खिते के बतरे में सीआईसी को जतनकतरी देगी यहद ग्रतहक ने ऐसत करने की अनुमति दी ह्रै यत व्ैधततनक / तनयतमक आवश्यकितएं ऐसत तनधतारिर करिी हैं।

e) ग्रतहक द्वतरत मतंगे जतने पर कं पनी सीआईसी को दी गई प्रतसंथगक जतनकतरी प्रदतन करेगी।

2. जतनकतरी सतझत करनत

a) कं पनी अपने समूह / सहयोगी संस्ितओं यत कं पतनयों को ऐसी जतनकतरी प्रदतन कर सकिी ह्रै श्जसके ललए उसने अपने ग्रतहक से ऋण आवेदन / स्वीकृ ति पत्र / सबसे महत्वपूणा तनयम और शिों / ऋण समझौिे के िहि सहमति / अनुमति प्रतप्ि की ह्रै।

b) कं पनी ग्रतहक की व्यश्क्िगि जतनकतरी को उसके ऋण के भुगितन के बतद भी तनजी और गोपनीय रखेगी। हम ऊपर हदए गए और तनम्नललखखि असतधतरण मतमलों को छोड़कर ककसी को भी ग्रतहक के डेटत यत जतनकतरी कत खुलतसत नहीं करेंगे:

i. कतनून द्वतरत आवश्यक होने पर;

ii. जतनकतरी प्रकट करने के ललए जनित के प्रति किाव्य;

iii. जतनकतरी देनत कं पनी के हहि में आवश्यक हो;

iv. कं पनी द्वतरत ग्रतहकों से सहमति/अनुमति प्रतप्ि की गई हो;

c) कं पनी के प्रतितनथध ग्रतहक को उसके बतरे में कं पनी के व्यश्क्िगि ररकॉडा िक पहुंचने के ललए भतरि के कतनूनों के िहि उसके अथधकतरों / देनदतररयों के बतरे में सूथचि करेंगे;

d) कं पनी मतकेहटंग उद्देश्यों के ललए ग्रतहक की व्यश्क्िगि जतनकतरी कत उपयोग िब िक नहीं करेगी जब िक कक ग्रतहक ववशेष रूप से हमें ऐसत करने के ललए अथधकृ ि नहीं करित ह्रै।

9. साित्न्य प्रावधान

a) कं पनी ऋण समझौिे के तनयमों और शिों को छोड़कर उधतरकिताओं के व्यवसतय में हस्िक्षेप से बचनत चतहहए (जब िक कक नई जतनकतरी कं पनी के संज्ञतन में नहीं आई ह्रै श्जसे उधतरकिता द्वतरत पहले प्रकट नहीं ककयत गयत हो,);

b) जहतं उधतरकिता ऋण को स्ितनतंिररि करने पर जोर देिे ह्रै, सहमति यत अन्यित आपवत्त, यहद कोई हो, उधतरकिता के इस िरह के अनुरोध की प्रतश्प्ि की तिरीख से 21 हदनों के भीिर सूथचि की जतएगी। ऐसत हस्ितंिरण कतनून के अनुरूप ऋण के तनयमों और शिों के अनुसतर होगत;

c) ऋण की वसूली के ललए, कं पनी अनुथचि उत्पीड़न कत सहतरत नहीं लेगी और लतगू कतनूनी ढतंचे के भीिर कं पनी द्वतरत आंिररक रूप से अपनतई गई प्रकक्रयतओं कत पतलन करेगी;

d) कं पनी व्यश्क्िगि उधतरकिताओं को व्यवसतय के अलतवत अन्य उद्देश्यों के ललए स्वीकृ ि ककसी भी फ्लोहटंग रेट टमा लोन पर फोरक्लोज़र शुलक / पूवा-भुगितन दंड नहीं लगतएगी, कं पनी यह सुतनश्श्चि करेगी कक कमाचतररयों को उथचि िरीके से ग्रतहकों से तनपटने के ललए पयताप्ि रूप से प्रलशक्षक्षि ककयत गयत ह्रै।

10. शिकायर्त तनवारण र्तंत्र

कं पनी द्वतरत पेश ककए गए उत्पतद और सेवतओं के संबंध में कोई लशकतयि/प्रतिकक्रयत रखने वतलत कोई भी ग्रतहक तनम्नललखखि

में से ककसी भी मतध्यम से कंपनी के ग्रतहक सेवत/देखभतल ववभतग को ललख सकिे हैं:

- ✓ 18001022192 पर कॉल करें
- ✓ ईमेल - care@incred.com
- ✓ इस पिे पर एक पत्र ललखें - इन्क्रे ड फतयनतंलशयल सववासेज़ लललमटेड, 1203, 12वतं मतलत, बी ववंग, द क्रै वपटल, बतंद्रत कु लता कॉम्प्लेक्स, मंुबई - 400 051
- ✓ वेबसतइट- www.incred.com

लशकतयि ककस प्रकतर दी जतनी चतहहए:
ग्रतहकों से अनुरोध ह़ै कक वे आवश्यक रूप से अतनवतया ऋण वववरण जिताि ऋण खतित संख्यत, प्रतिकक्रयत/सुझतव/लशकतयि कत वववरण और फोन नंबर सहहि व़ैध संपका जतनकतरी प्रदतन करें। और कं पनी के सति संचतर करिे समय ई-मेल आईडी भी दें।

जवतब की अपेक्षत कब की जतए
कं पनी उथचि समय के भीिर सभी प्रश्नों/लशकतयिों कत समतधतन/जवतब देने कत प्रयतस करेगी और ग्रतहक को उनकी लशकतयिों की श्स्ििि के बतरे में सूथचि करेगी। प्रत्येक ग्रतहक की क्वेरी/लशकतयि प्रकृ ति में अद्ववीय होने के कतरण, जतंच के बतद पूणा समतधतन के ललए िीस हदन िक कत समय लग सकित ह़ै।

तनवतरण के ललए ककसके पतस जतएं:
ग्रतहकों से अनुरोध ह़ै कक पहले ऊपर बितए गए ककसी भी च़ैनल के मतध्यम से अपनी थचंितिओं को व्यक्ि करें। और यहद पतंच हदनों के भीिर इसकत समतधतन नहीं होित ह़ै यत ग्रतहक सेवत द्वतरत प्रदतन ककए गए समतधतन से संिुष्ट नहीं ह़ै, िो ग्रतहक अपनी लशकतयिों के समतधतन के ललए नीचे हदए गए चरणों कत पतलन कर सकिे हैं,

नतम : लमस रोजी डडसूजत
संपका : 022-42117799
ईमेल आईडी: care@incred.com

यहद लशकतयि पतंच हदनों की अवथध के भीिर हल नहीं होिी ह़ै यत ग्रतहक लमस रोजी डडसूजत द्वतरत प्रदतन ककए गए समतधतन से संिुष्ट नहीं ह़ै, िो ग्रतहक नीचे हदए गए वववरण के अनुसतर वृद्थध के दूसरे स्िर पर संपका कर सकित ह़ै:

नतम: नोडल ऑकफसर
संपका : 022–42117777
ईमेल आईडी: West.Nodal@incred.com

द्वितीयक स्तर
यहद लशकतयि पतंच हदनों की अवथध के भीिर हल नहीं होिी ह़ै यत यहद ग्रतहक नोडल ऑकफसर द्वतरत प्रदतन ककए गए समतधतन से संिुष्ट नहीं ह़ै, िो ग्रतहक लशकतयि तनवतरण अथधकतरी से संपका कर सकित ह़ै। लशकतयि तनवतरण अथधकतरी कत नतम और संपका वववरण इस प्रकतर ह़ै:

शिकायत निािारण अधिकारी/प्रिाि िोडल अधिकारी (पीएिओ) नतम: श्री व़ैद्यनतिन रतममूतिा
ईमेल आईडी: incred.grievance@incred.com
टेलल़फोन क्र.: 022-42117777

पित: इन्क्रे ड फतयनतंलशयल सववासेज़ लललमटेड,1203, 12वतं मतलत, बी ववंग, द क़ै वपटल, बतंद्रत कु लता कॉम्प्लेक्स,

मं ुबई - 400 051

तीसरा स्तर

यदि ग्राहक प्रिा ि ककए गए समाि ाि से संतुष्ट िहीं है या यदि ग्राहक को 30 दिि ों में हमारी ओर से कोई जिाब िहीं शमलता है, तो िह आरबीआई सीएमएस पोटटल - https://cms.rbi.org.in पर अपिी शिकायत िजट कर सकतेहैं या उिके समवपटत ई-मेल आईडी - crpc@rbi.org.in पर उिसे संपकट कर सकते हैं या अपिा शिकायत प्रपत्र (एकीकृ त लोकपाल योजिा 2022 के तहत िेबसाइट पर उपलब्ि
प्रारूप) ि ीचे दिए गए पते पर भेजें:

प्रभारी अधिकारी,
कें द्रीयकृ त प्राप्तत और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय
ररजिट बैंक, चौथी मंप्जल,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017
टोल फ्री ि ंबर के साथ संपकट केंद्र – 14448 (समय – सुबह 9:30 बजे से ि ाम 5:15 बजे तक)

11. ब्याज प्रभार

a) यह सुतनश्चिि करने के ललए कक ग्रतहकों से कं पनी द्वतरत ऋणों और अथग्रमों पर अत्यथधक ब्यतज दर और शुलक नहीं ललयत जतित है, कं पनी के तनदेशक मंडल ने ब्यतज दर मॉडल और ब्यतज दरों के तनधतारण से संबंथधि प्रकक्रयतओं पर एक नीति अपनतई है, श्जसे कं पनी की वेबसतइट पर ग्रतहकों के लतभ के ललए दशतायत गयत है।
b) कं पनी के ब्यतज दर मॉडल के बतरे में जतनकतरी भी आवेदन पत्र और स्वीकृ ति पत्र में प्रकट की जतएगी।

12. पुनकि ब्जा, यहद कंपनी द्वारा वािनों को र्वत्तपोर्षर्त ककया जार्ता ि ै

कं पनी के पतस उधतरकिता के सति ऋण समझौि े में एक पुनका ब्ज़त संबंथधि प्रतवधतन होगत जो कतनूनी रूप से लतगू करने योग्य होगत। पतरदलशाति सुतनश्चिि करने के ललए ऋण समझौि े में तनम्नललखखि तनयम और शिं प्रदतन की जतएंगी:

a) पुनका ब्जत लेने से पहले नोहटस अवथध;
b) श्स्ितियताँ श्जनके अंिगाि नोहटस अवथध को मतफ ककयत जत सकित है;
c) प्रतिभूति को कब्ज़े में लेने के ललए पद्धति;
d) बबक्री/नीलतमी से पहले उधतरकिता को ऋण के भुगितन के ललए अंतिम मौकत देने हेिु एक प्रतवधतन;
e) उधतरकिता को पुनका ब्जत देने के ललए प्रकक्रयत;
f) संपवत्त की बबक्री / नीलतमी के ललए प्रकक्रयत।

13. ऋण खात ो में दोंड प्रभार

कंपिी उवित ऋण अभ्यास पर आरबीआई के पररपत्र - लोि खातों में दंड शुल्क वदिांकत 18 अगस्त, 2023 का पालि करे गी।

14. समान माससक सकश् ो (ईएमआई) पर फ्लस ोंग ब्याज दर क सिर से सनर् ाररत करना

कंपिी 18 अगस्त, 2023 को समाि मावसक वकस्तों (ईएमआई) पर फ्लोव ंग ब्याज दर को विर से विधावररत वकए

जािे पर आरबीआई के पररपत्र का पालि करेगी।

15. उर्ारी के सिषय में सजम्मेदार आचरण - व्यक्तिगत ऋण ोंके पुनभुागतान / सनप ान पर चल / अचल सोंपसि दस्तािेज ोंक जारी करना

कंपिी, व्यक्तिगत ऋणों के पुिभुवगताि / विप ाि पर िल / अिल संपवि दस्तार्ेजों को जारी करि केवलए उधारी के वर्षय में वजम्मेदार आिरण पर आरबीआई के पररपत्र, वदिांवकत 13 वसतंबर, 2023 का पालि करेगी।

16. सीक्षा

प्रबंधन के ववलभन्‍न स्िरों पर उथचि व्यवहतर संहहित के अनुपतलन और लशकतयि तनवतरण िंत्र के कतमकतज की आवथधक समीक्षत के ललए बोडा को सूथचि रखत जतएगत और इस िरह की समीक्षतओं की एक समेककि ररपोटा तनयलमि अंिरतल पर बोडा को प्रस्िुि की जतएगी। और जब जब आवश्यक होगत तनदेशक मंडल द्वतरत संहहित की सतलतनत समीक्षत की जतएगी, और इस संबंध में कोई अन्‍य तनयतमक पररविान समय-समय पर संहहित में शतलमल ककयत जतएगत।

दस्तािेज ् सोंश र्न इसतहास

संशोधि	लेखक	वर्दिांक	वर्र्ण
1.0	कंपिी सविर् और अिुपालि अवधकारी	अगस्त 09, 2022	वडमजवर के अिुसार उवित अभ्यास संविता को अपिाि ा
2.0	मुख्य अिुपालि अवधकारी	अगस्त 02, 2023	र् ावषवक समीक्षा के बार्द संस्करण अपडे वकया गया
3.0	मुख्य अिुपालि अवधकारी	अक्टूबर 27, 2023	आरबीआई अवधसूििाओं के कारण संस्करण अपडे वकया गया – a) मास्टर विर्देश - भारतीय ररज़र्व बैंक (गैर-बैंवकं ग वर्िीय कं पिी - स्केल आधाररत वर्वियमि) विर्देश, 2023, वर्दिांवकत 19 अिूबर, 2023 b) उधार र्देिे का उवित अभ्यास - ऋण खातों में र्दंड शुल्क, वर्दिांवकत 18 अगस्त, 2023 c) उधारी के वर्षय में वजम्मेर्दार आिरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुिभुवगताि / विपटाि पर िल / अिल संपवि र्दस्तार्ेजों को जारी करिा, वर्दिांवकत 13 वसतंबर, 2023। d) समाि मावसक वकस्तों (ईएमआई) पर आधाररत व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोव ंग ब्याज र्दर को विर से विधाररत करिा, वर्दिांवकत 18 अगस्त, 2023 िोडल अवधकारी और प्रधाि िोडल अवधकारी के संपकव वकरि के वलए आर्श्यक वर्र्रण में पररर्तवि।